सत्य प्रति

(4)

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :रामपुर,तहसील :मिलक
वाद संख्या :-00793/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201813590200793
खालसा डिग्री कालेज संचालित दवारा श्री गुरू रामदास जी ऐजूकेशनल इण्डस्टीयल एण्ड कल्चरल डवलपमेन्ट ऐसोसिएशन टस्ट दवारा प्रबन्धक श्री सन्तोख सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

खालसा डिग्री कालेज संचालित द्वारा श्री गुरू रामदास जी ऐजूकेशनल इण्डस्ट्रीयल एण्ड कल्चरल डवलपमेन्ट ऐसोसिएशन ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक श्री सन्तोख सिंह खालसा पुत्र जागन सिंह।

बनाम

सरकार।

संशोधित निर्णयादेश

प्रस्तुत वाद में आदेश दिनांक 12.04.2018 के अन्तर्गत आराजी निजाई को कृषि भूमि से अकृषिक भूमि घोषित किया गया था तथा परवाना अमल दरामद भी जारी किया गया। परन्तु वादी द्वारा दिनांक 16.04.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया गया कि उक्त पारित आदेश में वादी/संस्था का पूरा नाम अंकित नहीं है, जबकि परवाने में वादी/संस्था का नाम पूर्ण है।

प्रस्तुत वाद वादी खालसा डिग्री कालेज द्वारा प्रबन्धक श्री सन्तोख सिंह खालसा पुत्र जागन सिंह, निवासी मौ0 बाजार कलां, बिलासपुर, जिला रामपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0रा0सं0 2006 के आधार पर आरम्भ हुआ है, जिसमें अवगत कराया गया है कि आराजी स्थित ग्राम नगरिया, तहसील मिलक, जिला रामपुर के खाता संख्या 144 के गाटा संख्या 372, रकबा 0.255 है0 व खाता संख्या 241, गाटा संख्या 373, रकबा 0.251 है0 में किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। वादी इस आराजी में विधालय खोलना चाहता है। इस कारण वादी इस भूमि को कृषि भूमि से अकृषिक भूमि घोषित कराना चाहता है। वादी के प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार मिलक से कराकर आख्या प्राप्त की गयी।

तहसीलदार मिलक ने अपनी जांच आख्या दिनांक 02.04.2018 में अवगत कराया है कि उक्त दर्शित भूमि में किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। आराजी का सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन 33,39,600.00 रू0 का एक प्रतिशत 33,396.00 रू0 देय है। आराजी धारा 132 की नही है तथा आराजी से सम्बन्धित कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गई।

तहसीलदार मिलक की आख्या से संतुष्ट होकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को में बताया कि वादी उक्त आराजी का संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार व काबिज है। इस आराजी में किसी भी प्रकार का कृषि कार्य, उद्यानीकरण, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि का कोई कार्य नही किया जा रहा है। इस भूमि पर वादी खालसा डिग्री कालेज की स्थापना करना चाहता है। वर्तमान में इस भूमि पर प्रस्तावित विधालय के निर्माण हेतु बनवाये जाने वाले कमरों पर लिन्टर पडने का कार्य प्रगति पर है। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है। इस भूमि से सम्बन्धित कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। इस भूमि का प्रयोग व्यवसायिक प्रयोजन हेतु किया जाना है। तहसीलदार मिलक ने भी अपनी आख्या में भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है। विद्वान अधिवक्ता ने भूमि के व्यवसायिक

सत्य प्रतिलिपि

आदेश पत्रक

—2—

प्रयोजन के मूल्यांकन का एक प्रतिशत अंकन से अंकन 33,396.00 रू0 देय होता है, जो वादी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा मिलक में चालान संख्या 01 द्वारा दिनांक 06.04.2018 को जमा कर दिया गया है। इस भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। अन्त में भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का भली भांति अध्ययन किया गया तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी भूमि का संक्रमणीय भूमिधर व काबिज कृषक है। इस भूमि में किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नही किया जा रहा है। विद्यालय हेतु कार्य निर्माणाधीन है। तहसीलदार मिलक द्वारा भी इस भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है। इस विवेचना के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार मिलक की जांच आख्या स्वीकार किये जाने योग्य तथा भूमि को कृषि भूमि से अकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हुआ कि तहसीलदार मिलक की आख्या दिनांक 02.04.2018 स्वीकार करते हुये भूमि स्थित ग्राम नगरिया, तहसील मिलक के खाता संख्या 144 के गाटा संख्या 372, रकबा 0.255 हे0 व खाता संख्या 241, गाटा संख्या 373, रकबा 0.251 हे0 भूमि के सम्पूर्ण भाग को कृषि भूमि से अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित कराई जाये।
दिनांक—18.04.2018

(राकेश कुमार गुप्ता)
उप जिलाधिकारी मिलक।

संशोधित निर्णयादेश आज दिनांक 18.04.2018 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर सुनाया गया।

उप जिलाधिकारी मिलक,
जिला रामपुर।

उप जिलाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट मिलक रामपुर

46/18
18-4-18
M. सन्तोष सिंह खालसा
Rs 13-00
छाया प्रति
18-4-18
18-4-18

सत्य प्रतिलिपि
सहायक

…//vaad.up.nic.in/Judgement/Print_Advalise_Details.aspx?cno=T201813590200793